राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/KSP/149-A/-KSP

आईडीबीआई बैंक के साथ दिनांक 21.09.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री राकेश कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईडीबीआई बैंक
4. श्री उजेन तासी, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), आईडीबीआई बैंक
5. श्री प्रवीन कोटे, महाप्रबंधक एवं संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.), आईडीबीआई बैंक
6. श्री कुंजन कुमार एच. बारौत, प्रबंधक (मा.सं.वि.) आईडीबीआई बैंक

सुनवाई का विस्तृत विवरण-:

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या इस सुनवाई में ओबीसी के संपर्क अधिकारी आये है जिसके जवाब में संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.) द्वारा बताया गया कि मेरा नाम प्रवीन कोटे है और मैं ओबीसी वर्ग से हूँ। आयोग द्वारा पूछा गया कि आप रोस्टर रजिस्टर के बारे में आप क्या जानते है और कब से बैंक में संपर्क अधिकारी है। जिसके जवाब में संपर्क अधिकारी (अ.पि.व) द्वारा बताया गया कि मैं संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.) पिछले 4 साल से हूँ और रोस्टर रजिस्टर में ओबीसी के लिये रिजर्वेशन होता है। आयोग द्वारा पूछा गया कि आईडीबीआई बैंक में ओबीसी के लिये कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है जिसके जवाब में संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.) द्वारा बताया गया कि आईडीबीआई बैंक में ओबीसी के लिये 27% रिजर्वेशन है। आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी के लिये 200 प्वाइंट रोस्टर पर कौन कौन से बिंदु निर्धारित है। जिसके जवाब में संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.) द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

2. आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या बैंक ने ओबीसी के संपर्क अधिकारी को आरक्षण संबंधी पहले कोई ट्रेनिंग करायी है जिसके जवाब में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि ओबीसी के संपर्क अधिकारी की भी ट्रेनिंग होती है।
3. आयोग द्वारा पूछा गया कि आईडीबीआई बैंक में ओबीसी के लिये रिजर्वेशन कब से शुरु हुआ है जिसके जवाब में संपर्क प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष बैंक में 1995 से ओबीसी का रिजर्वेशन शुरू हुआ उसके बाद वर्ष 1997 में आफिस मेमोरेंडम जारी हुए थे इसमें जो आदेश थे उसके हिसाब से हमने लागू किया है। अप्रैल 2005 में हमारे बैंक का मर्जर हो गया, उसके बाद से रोस्टर चैंज कर उसी हिसाब से रोस्टर रखने लगे। फिर हमने पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बैंगलोर की सहायता से सारे रोस्टर रजिस्टर दोबारा बनवाये और जो भारत सरकार के निर्देश थे, जो शार्टफाल चल रहा था 2009 में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव कर जो शार्टफाल था वह सारी वैकेंसी फिलअप कर दी।
4. आयोग द्वारा पूछा गया कि जो आपने वर्ष 2005 में रोस्टर रीकास्ट किया था तो इसका फार्मेट क्या था जिसके जवाब में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि फार्मेट आपको दिखाते है। आयोग द्वारा कहा गया कि जब बैंक मर्ज हुआ और जहां से आपने यह डाटा लिया है उस समय का पहला रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध कराये।
5. आयोग द्वारा कहा गया कि आईडीबीआई बैंक द्वारा दिये गये जवाब में पेज सं 12 पर प्रश्न सं 16 के रिप्लाई में जो आप ओबीसी का साक्षात्कार करते है उसकी डीओपीटी की गाइडलाइन आयी होगी उस गाइडलाइन की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाये और प्रश्न सं 16 के रिप्लाई आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराये।

टाक्षी राकेश शर्मा

कुंअर कुमार

पूर्णापंढ़े

6. आयोग द्वारा पूछा गया कि रोस्टर रजिस्टर पर वित मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर के हस्ताक्षर नहीं है। जिसके जवाब में संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.) आईडीबीआई बैंक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 में वित्त मंत्रालय द्वारा रोस्टर रजिस्टर का निरीक्षण किया गया है। आईडीबीआई बैंक के दिल्ली सर्किल के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध कराया जाये।
7. आयोग द्वारा दी जा रही प्रश्नावली का उत्तर आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराया जाये।

उपरोक्त अपेक्षित सभी जानकारी 7 कार्यदिवस के अंदर आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

सुनवाई सम्पन्न।

कुंजनकुमार

(श्री कुंजन कुमार एच. बारोत)
प्रबंधक (मा.सं.वि.),
आईडीबीआई बैंक

प्रवीणपोटे

(श्री प्रवीन पोटे)
महाप्रबंधक एवं संपर्क अधिकारी (अ.पि.व.),
आईडीबीआई बैंक

ताशी

(श्री उजेन तासी)
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
आईडीबीआई बैंक

(श्री राकेश कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आईडीबीआई बैंक

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग